संख्या-43/2020/758/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च 2020

विषय:- **सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 14.11.2019 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने पर आने वाले व्यय की धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2169-70/स0क0/विकास/मुख्यमंत्री सा0 वि0/प्रचार-प्रसार/2019-20, दिनांक-25.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-02-200- 12-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने पर आने वाले व्यय की धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दिनांक-14.11.2019 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने पर आने वाले व्यय की धनराशि **रू0-1,93,81,432/- (रू0-एक करोड़ तिरान्वे लाख इक्यासी हजार चार सौ बत्तीस मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-02-200-12-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि से व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-43/2020/758(1)/26-3-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय,समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।